न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

(राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प, कोर्ट परिसर डीग दिनांक 12.11.2022)

व इजलाश हेमन्त कुमार
(R.A.S)

प्र0 सं0 07 / 2022(जीसीएमएस न. 2022 / 00369)

उनवान

कस्तूरी देवी पत्नी टेकन सिंह जाति फौजदार निवासी ग्राम नाहराचौथ तहसील डीग (भरतपुर)
—प्रार्थिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग (भरतपुर) राज0
—अप्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,

दिनांकः 12.11.2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 387 / 0.15, 388 / 0.17, एवं खसरा नम्बर 389 / 0.21 का हिस्सा 16 / 21 स्थित ग्राम धमारी तहसील डीग को प्रार्थिया द्वारा जरिये जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 12.07.2007को विक्रेतागण से खरीद किया तथा खरीद के बाद से ही प्रार्थिया उक्त आराजी पर वहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थिया का वास्तविक नाम कस्तूरी देवी है तथा सभी दस्तावेजात में भी प्रार्थिया का सही नाम कस्तूरी देवी दर्ज है, लेकिन उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में में प्रार्थिया का नाम कश्मीरी देवी दर्ज किया जा रहा है। प्रार्थिया अनपढ काश्तकार है। वक्त बयनामा प्रार्थिया का नाम सहवन से टाईप की मिस्टेक से कस्तूरी देवी के स्थान पर कश्मीरी दर्ज हो गया। जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल होकर गलत नाम कश्मीरी देवी दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थिया के समस्त दस्तावेज बैंक पास बुक,आधार कार्ड,निर्वाचन आयोग पहचान पत्र सभी में कस्तूरी देवी नाम दर्ज है, उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड से मिलान नहीं होने के कारण प्रार्थिया को परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः निवेदन है कि उक्त आराजी में प्रार्थिया का नाम कश्मीरी देवी के स्थान पर कस्तूरी देवी पत्नी टेकन सिंह दुरूस्त किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना प्रार्थी **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी / तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई।

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by AnyScanner

उक्त प्रकरण आज दिनांक 12.11.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया। तहसीलदार डीग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.08.2022 में अंकित तथ्यों का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। जिसमें वर्णित किया गया है कि वर्णित आराजी के खसरा नम्बरान 387/0.15, 388/0.17, 389/0.21 वाके ग्राम धमारी तहसील डीग में प्रार्थिया का नाम कश्मीरी के स्थान पर कस्तूरी देवी किया जाना उचित है।

उक्तानुसार सम्बन्धित प्रार्थी के प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों व अप्रार्थी/तहसीलदार एवं सम्बन्धित हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन तथा प्रार्थिया के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड से प्रार्थिया का सही नाम कश्मीरी के स्थान पर कस्तूरी देवी किया जाना उचित प्रतीत है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बरान **387/0.15, 388/0.17, 389/0.21 वाके ग्राम धमारी तहसील डीग** में स्थित है, में कश्मीरी के स्थान पर कस्तूरी देवी पत्नी टेकन सिंह जाति जाट (फौजदार) निवासी नाहराचौथ तहसील डीग दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः—

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान **387/0.15, 388/0.17, 389/0.21 वाके ग्राम धमारी तहसील डीग** में स्थित है, उक्त वर्णित आराजीयात में कश्मीरी पत्नी टेकन सिंह के स्थान पर कस्तूरी देवी पत्नी टेकन सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)
उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को मेरे द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोर्ट परिसर डीग में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)
उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

Scanned by
AnyScanner